FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **सरकार बनाम सईद खान वगैरह** **सेशन प्रकरण संख्या – 03/2024(03/2024), सीआईएस संख्या – 02/2024**	Brief note of Compliance of Order
05.04.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण अनुपस्थित जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो आज के लिए स्वीकार किया गया। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/आहत मदारी खान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/आहत ने कथन किए गए प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाह प्रस्तुत किये जा चुके है। क्रोस केस भी सरकार बनाम पप्पू उर्फ शरीफ वगैरह न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी/आहत के पुत्र फकरूद्दीन ने इस प्रकरण में मारपीट करने वालों में अन्य अभियुक्तगण के साथ शमसाद पुत्र समद खान को मुख्य रूप से मारपीट करने वालों में बताते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/14 पुलिस थाना गांधीनगर में दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान के दौरान घटना के चश्मदीद सभी गवाहों ने अपने धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में शमशाद पुत्र समद खान का मौके पर उपस्थित होना व मारपीट की घटना में मुख्य भूमिका निभाना बताया है। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है उसमें शमसाद पुत्र समद खान का नाम अंकित नहीं किया गया है ना ही कोई अंकित किया है। शमसाद पुत्र समद खान पुलिस में कर्मचारी होने के कारण अनुसंधान अधिकारी ने बेईमानी करते हुए इसका नाम चार्जशीट में अंकित नहीं किया। न्यायालय में परिक्षित सभी गवाहान ने शमसाद पुत्र समद खान को मारपीट में शामिल होना बताया है। अतः शमसाद पुत्र समद खान के विरूद्ध धारा 147, 149, 341, 323, 324, 447 व 308 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किए जाने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना का अभियुक्त पक्ष की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि प्रकरण बहस अंतिम के प्रक्रम पर है। प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया किया है जो सव्यय खारिज किया जावे। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि परिवादी फकरूद्दीन द्वारा दिनांक 24.03.2014 को लिखित रिपोर्ट में दिनांक 24.03.2014 में सईद खान, शमसाद पुत्र समद, हयात, एजाज, इनायत, सुजाद, वहीद, इकबाल व अन्य का एकजूट होकर धारदार कुल्हाड़ी, फारसी, तलवार व देशी कट्टा लेकर करीब 12 बजे खसरा संख्या 1091 व 1092 में फसल काटते समय आकर परिवादी व उसके परिवारजन के साथ मारपीट किए जाने का कथन किया। उक्त लिखित रिपोर्ट के पश्चात दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए। उनमें गवाह परिवादी फकरूद्दीन व आहत मदारी खाँ, जलालुदीन, फिरोज, शरीफ ने अपनी साक्ष्य में सईद, शमसाद, हयात, एजाज, इनायत, सुजात, वहीद व इकबाल द्वारा एकराय होकर मारपीट करना बताया है। अन्य गवाह परबा व मोसीन ने अपने कथनों में	

	सईद, हयात, सुजात, एजाज, वहीद व सरीफ व मदारी के आपस में मारपीट होने का कथन किया है। शमसाद मौके पर मौजूद हो, उसके द्वारा मारपीट की गई हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो गवाह पी.डब्ल्यू. 2 मदारी खाँ जो कि परिवादी का पिता है ने अपनी साक्ष्य में शमसाद खाँ के द्वारा उसके बेटे जलालुद्दीन के सरिये या कुल्हाड़ी की मारना, परिवादी पी.डब्ल्यू. 4 फकरूद्दीन ने शमसाद, सईद, सुजात, एजाज, वहीद, हयात के अलावा तीन–चार और लोगों के द्वारा उनके खेत पर लकड़ी, सरिया व कुल्हाड़ी लेकर आना व मारपीट कर चोटे कारित करना बताया है परंतु अभियोजन के द्वारा परीक्षित अन्य गवाह जिसमें पी.डब्ल्यू. 8 फिरोज जो कि आहत है ने अपनी साक्ष्य में सईद, वहीद, सुजाद, हयात द्वारा मारपीट करना बताया है। शमसाद के द्वारा मारपीट की गई हो या वह मौके पर मौजूद हो ऐसा कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य स्वतंत्र गवाह पप्पू उर्फ शरीफ पी.डब्ल्यू. 8 ने भी अपनी साक्ष्य में खेत में जलालुद्दीन, मदारी, रजिया, किस्मत, छोटी वगैरह द्वारा खेत पर काम करते समय एजाज, सईद, वहीद, सुजाद, हयात व अन्य लोगों द्वारा लकड़ी, कुल्हाड़ी लेकर आना व हमला करना बताया है। शमसाद मौके पर मौजूद हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है या उसके द्वारा कोई मारपीट की गई हो ऐसा भी कोई कथन नहीं किया गया है। इसी प्रकार अन्य स्वतंत्र गवाह परबा पी.डब्ल्यू. 7 ने अपनी साक्ष्य में सईद, हयात, सुजाद, एजाज, वहीद का बस से उतरकर अपने खेत में जाना फिर उनके आपस में मारपीट होना बताया है। शमसाद मौके पर मौजूद हो, उसके द्वारा कोई मारपीट की गई हो ऐसा कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा जिन गवाहान को परीक्षित करवाया गया है उनमें से परिवादी व उसके पिता ने शमसाद द्वारा मारपीट करने का कथन किया है परंतु उनके कथनों की ताईद अन्य आहत फिरोज एवं स्वतंत्र गवाह पप्पू उर्फ शरीफ व परबा ने अपनी साक्ष्य में नहीं की है। अन्य आहत फिरोज एवं स्वतंत्र गवाह ने शमसाद के द्वारा मारपीट करने एवं उसके द्वारा मौके पर मौजूद होने का कोई कथन नहीं किया गया है। फिरोज द्वारा अपने धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में शमसाद का नाम अंकित किया है परंतु अपर लोक अभियोजक द्वारा दौराने साक्ष्य उसे कन्फर्ट नहीं करवाया गया। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से दौराने अनुसंधान जिन गवाहानों के बयान लेखबद्ध किए गए है उन स्वतंत्र गवाहानों द्वारा शमसाद का मौके पर उपस्थित होने एवं उसके द्वारा मारपीट करने को कोई कथन नहीं किया गया है तथा न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में भी आहत फिरोज व अन्य स्वतंत्र गवाह पप्पू उर्फ शरीफ व परबा ने अपनी साक्ष्य में शमसाद का मौके पर मौजूद होने एवं मारपीट किए जाने का कोई कथन नहीं किया है। धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अवलोकन किया जाए तो उक्त विधिक प्रावधानों में यह उपबंधित है कि ''जहाँ किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।'' प्रकरण में जो साक्ष्य लेखबद्ध की गई है उसमें परिवादी व उसके पिता के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र गवाह एवं आहत फिरोज के द्वारा शमसाद का मौके पर मौजूद होने एवं	

उसके द्वारा मारपीट किए जाने का कोई कथन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे कि शमसाद द्वारा परिवादी एवं आहतगण के साथ मारपीट कर चोटे कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित हो। अतः ऐसी स्थिति में शमसाद खाँ पुत्र समद खान के विरूद्ध किसी भी अपराध में प्रसंज्ञान लिए जाने का कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं होने से प्रार्थी/आहत मदारी खाँ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्त विवेचनानुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते मजीद बहस दिनांक 16.04.2025 को पेश हो।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।